भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1298
दिनांक 06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निधि का उपयोग

†1298. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के अंतर्गत निधि के आवंटन और उपयोग का गुजरात सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत देश भर में लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने हाल ही में योजना के कार्यान्वयन और प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के अंतर्गत देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (गुजरात सहित) निधि के आवंटन और उपयोग का विवरण अनुलग्नक-1 और II में दिया गया है।

(ख) देश में जेएसएसके योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार, अनुलग्नक-III में दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जेएसके के प्रभाव का आकलन समय-समय पर क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में फील्ड विजिट, कॉमन रिव्यू मिशन (सीआरएम) और विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग द्वारा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के मूल्यांकन के माध्यम से करती है।

इन रिपोर्टों से पता चलता है कि जेएसएसके के अंतर्गत दी जाने वाली अधिकांश सेवाओं का लाभ लाभार्थी उठा रहे हैं। यह मूल्यांकन यह दर्शाती है कि निःशुल्क और कैशलेस प्रसव सेवाओं, निःशुल्क दवाओं और निदान सुविधाओं, अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क आहार और गर्भवती महिलाओं एवं बीमार शिशुओं के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है, जिससे संस्थागत प्रसवों में वृद्धि हुई है और प्रसव पर होने वाला जेब खर्च कम हुआ है। इससे देश में मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाने में भी योगदान मिला है।

*****

दिनांक 06.02.2026 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1298 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

एनएचएम के तहत वित्त वर्ष 2024-2025 हेतु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके-मातृत्व स्वास्थ्य) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय			
			(लाख रुपये में)
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**एसपीआईपी अनुमोदन**	**व्यय**
1	**अखिल भारतीय**	**245865.44**	**130575.71**
2	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4.00	0
3	आंध्र प्रदेश	8,733.05	3,494.28
4	अरुणाचल प्रदेश	819.07	366.73
5	असम	11,197.04	7,832.00
6	बिहार	27,315.40	9,816.57
7	चंडीगढ़	0	0
8	छत्तीसगढ़	4,040.00	2,814.02
9	दादरा और नगर हवेली और दमन एंव दीव	117.32	66.69
10	दिल्ली	565.00	579.53
11	गोवा	121.10	88.46
12	गुजरात	**11,246.63**	**6,807.97**
13	हरियाणा	2,130.18	1,594.26
14	हिमाचल प्रदेश	1,264.82	547.80
15	जम्मू और कश्मीर	4,073.36	3,557.18
16	झारखंड	11,215.44	9,321.39
17	कर्नाटक	3,433.28	2,941.48
18	केरल	2,679.76	2,491.75
19	लद्दाख	99.50	91.64
20	लक्षद्वीप	9.34	0.25
21	मध्य प्रदेश	10,081.37	8,594.78
22	महाराष्ट्र	23,169.79	8,726.85
23	मणिपुर	1,043.00	578.91
24	मेघालय	1,552.58	1,087.74
25	मिजोरम	235.19	8.00
26	नागालैंड	503.30	611.03
27	ओडिशा	4,480.88	4,093.13
28	पुदुचेरी	334.01	70.56
29	पंजाब	6,280.50	2,902.54
30	राजस्थान	20,993.12	20,009.53
31	सिक्किम	154.85	161.31
32	तमिलनाडु	4,555.71	3,884.82
33	तेलंगाना	5,640.50	4,044.31
34	त्रिपुरा	1,159.46	851.90
35	उत्तर प्रदेश	56,430.38	11,465.64
36	उत्तराखंड	2,313.42	1,117.81
37	पश्चिम बंगाल	17,873.09	9,954.85

नोट:

1.उपरोक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों (एफएमआर) के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।

2.इस व्यय में केंद्रीय निधि से किया गया व्यय, संबंधित राज्य निधि से किया गया व्यय और वर्ष के प्रारंभ में अप्रयुक्त शेष राशि शामिल है।

दिनांक 06.02.2026 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1298 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक II

एनएचएम के तहत वित्त वर्ष 2024-2025 हेतु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके-शिशु स्वास्थ्य) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**एसपीआईपी अनुमोदन**	**व्यय**
1	**अखिल भारतीय**	**16394.82**	**11299.83**
2	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.50	0
3	आंध्र प्रदेश	761.67	417.58
4	अरुणाचल प्रदेश	5.47	0.35
5	असम	1,112.68	749.20
6	बिहार	1,081.27	366.17
7	चंडीगढ़	0	0
8	छत्तीसगढ़	130.00	57.12
9	दादरा और नगर हवेली और दमन एंव दीव	21.74	0
10	दिल्ली	85.00	11.61
11	गोवा	15.17	12.90
12	गुजरात	**1,533.63**	**1,122.12**
13	हरियाणा	106.61	76.57
14	हिमाचल प्रदेश	0	0
15	जम्मू और कश्मीर	541.34	309.30
16	झारखंड	534.05	525.14
17	कर्नाटक	350.31	167.47
18	केरल	173.01	145.94
19	लद्दाख	18.00	12.66
20	लक्षद्वीप	9.98	0
21	मध्य प्रदेश	1,633.31	1,068.17
22	महाराष्ट्र	1,378.71	571.92
23	मणिपुर	45.00	4.32
24	मेघालय	142.50	70.25
25	मिजोरम	40.40	0
26	नागालैंड	42.50	10.60
27	ओडिशा	299.94	339.62
28	पुदुचेरी	11.00	7.19
29	पंजाब	400.00	82.24
30	राजस्थान	2,449.00	1,978.04
31	सिक्किम	11.75	15.07
32	तमिलनाडु	1,976.34	1,974.05
33	तेलंगाना	312.25	312.25
34	त्रिपुरा	83.85	59.56
35	उत्तर प्रदेश	167.20	8.84
36	उत्तराखंड	70.32	9.21
37	पश्चिम बंगाल	850.32	814.37

नोट:

1. उपरोक्त आंकड़े राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों (एफएमआर) के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।
2. इस व्यय में केंद्रीय निधि से व्यय, संबंधित राज्य निधि से व्यय और वर्ष के प्रारंभ में अप्रयुक्त शेष राशि शामिल है।

दिनांक 06.02.2026 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1298 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक III

वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेएसएसके योजना के तहत लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या।			
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**गर्भवती महिलाएं**	**बीमार शिशु**
1	**अखिल भारतीय**	**20969056**	**1228753**
2	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4785	85
3	आंध्र प्रदेश	251558	26238
4	अरुणाचल प्रदेश	24520	494
5	असम	1080610	41856
6	बिहार	942682	29550
7	चंडीगढ़	87740	6015
8	छत्तीसगढ़	347851	26767
9	दादरा और नगर हवेली और दमन एंव दीव	139537	5165
10	दिल्ली	29271	988
11	गोवा	747495	80895
12	गुजरात	414986	20807
13	हरियाणा	150142	16645
14	हिमाचल प्रदेश	453084	36558
15	जम्मू और कश्मीर	536166	17273
16	झारखंड	531797	52672
17	कर्नाटक	477080	19069
18	केरल	4210	1074
19	लद्दाख	470	100
20	लक्षद्वीप	1226812	149137
21	मध्य प्रदेश	1946167	90828
22	महाराष्ट्र	28232	2057
23	मणिपुर	187417	17982
24	मेघालय	7106	1184
25	मिजोरम	12634	790
26	नागालैंड	1136420	54157
27	ओडिशा	8977	1608
28	पुदुचेरी	707825	27711
29	पंजाब	627230	96791
30	राजस्थान	6008	832
31	सिक्किम	1320021	38519
32	तमिलनाडु	140510	10018
33	तेलंगाना	13043	4231
34	त्रिपुरा	40351	5250
35	उत्तर प्रदेश	232008	8919
36	उत्तराखंड	6075618	170736
37	पश्चिम बंगाल	1028693	165752

डेटा स्रोत: एचएमआईएस पोर्टल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

*****